

FAX

पत्रांक - 7/वि0पु0ह0-204/2009 गृ0 आ0 4504
बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

RR 423 मु०
10.9.09

जिला स्थापना शाखा

जिलाधिकारी एवं समाहर्ता
29 AUG 2009
सारण, छपरा

प्रेषक,

गोकुल किशोर दत्त,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक,

पटना, दिनांक 21 जुलाई, 2009

विषय : बिहार सम्पति विरूपण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन प्रतिवेदन

महाशय,

प्रायः यह देखा गया है कि सम्पति विरूपण निवारण की कार्रवाई निर्वाचन के समय ही की जाती है। आप अवगत है कि बिहार सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 वर्ष 1987 से प्रभावित है। सम्बंधित अधिसूचना की छाया प्रति पुनः संलग्न है।

निदेशानुसार आपसे अनुरोध करना है कि इस अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

20-7-09
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक 1296 दि. 9.10.09

प्रतिपत्रिका - उपर समाहर्ता सारण / उप विकास आयुक्त सारण /
मुख्यालय - रि-थत सभी-मिथांश पदाधिकारी /
अनुमंडल पदाधिकारी, सारण-छपरा / म. डोंडा /
मौनपुर / सभी-प्रकार विकास पदाधिकारी / सभी /
अंत्य पदाधिकारी, सारण जिला-को-व्य-पना-ध
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/09